



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)  
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।  
"वर्कचार्ज वर्ग"

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

दिनांक:- ०५ .०६.२०२०

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

पत्र सं-२५३ /२३ का०प्र०-अधि०/२०

संख्या ५

मुख्य अभियन्ता,  
क्षेत्रीय / राज्यीय राजमार्ग / १०३००वी० /  
पी०एम०जी०एस०वाई० कार्यालय, लो०नि०वी०,  
देहरादून / पौडी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।

देहरादून / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।  
विषय :- एस0एल0पी0 (सिविल) सं0- 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के अनुपालन हेतु वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन का लाभ अनुमत्य किये जाने के लिए वेतन निर्धारण / पेंशन की जांच तथा परीक्षण का कार्य अत्यन्त तत्परता / समयबद्धता के साथ सम्पादित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

मार्ग :- इस कार्यालय का पत्र सं- 203/23 काठप्र०-अधि०/20 दिनांक- 27.05.2020।

५०

महोदय, उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज अधिष्ठान में की गयी सेवाओं को जोड़ते हुए खण्ड स्तर पर तैयार किये गये प्रकरणों को खण्डीय कार्यालय स्तर की समिति के सदस्यों एवं अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी) के हस्ताक्षरोपरान्त खण्डीय अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी / वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 3.6.2020 से दिनांक 4.7.2020 के मध्य सलंगन समय सारिणी के अनुसार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। कोविड-19 के सक्रमण के कारण हो रही असुविधा के वृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरण खण्डीय अधिष्ठान सहायक अथवा भिज्ञ अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय के लेखा वर्ग में प्रस्तुत किये जाये।

(इंग हरिओम शर्मा).

(इंद्र हरिओम शर्मा),

प्रभारी, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

**प्रतिलिपि :-** निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार निहित आदेशों तथा नियारित कार्यप्रक्रिया के अनुसार समुचित अनुपालन एवं समयबद्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून।
  - मुख्य अभियन्ता, स्तर-॥ (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून।
  - वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून।
  - समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ..... वौं, वृत्त लोक निर्माण विभाग.....।
  - समस्त अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी), प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/विष्य०/रामा०/ ए०डी०वि०/पी०एम०जी०ए०वाई खण्ड, लो०नि०वि०, .....।
  - अधिशासी अभियन्ता, (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून।
  - आई०टी० सैल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून को इस निर्देश-के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र संलग्नक सहित आज ही विभागीय बेसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त कार्यालयों को ई-मेल भी करना सुनिश्चित करें।
  - प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान)
  - कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून।
  - सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विमागाव्यक्ष,  
लोक निर्माण विमाग, देहशादून।

05/04/2020